"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]　　　　रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च 2026—फाल्गुन 29, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 फरवरी 2026

क्रमांक ESTB/102(1)/67/2026-GAD-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अंकित आनंद, भा.प्र.से. (2006) सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सचिव, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग, अध्यक्ष, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2026.

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 फरवरी 2026

क्रमांक I/293816/2026/25405/RULE-5/10/2025-Ag.Sec.(T).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 3 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के खण्ड 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं पूर्व अधिसूचना क्र. 2758/F-10-09/बीज/2010/14-2, दिनांक 23-06-2014 को अतिश्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचना क्र. 2286/F-10-09/बीज/2010/14-2, दिनांक 17-06-2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

अनुसूची के सरल क्रमांक 2 के कॉलम (2) में, शब्द "अपर संचालक उद्यानिकी" के स्थान पर शब्द "उप संचालक" उद्यानिकी प्रतिस्थापित किया जाये.

No. I/293824/2026/25405/RULE-5/10/2025-Ag. sec.(T).—In exercise of the powers conferred by Clause 11 of the Seeds (Control) Order, 1983 issued by the Central Government under Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) and in supersession of the earlier Notification No. 2758/F-10-09/Seed/2010/14-2 dated 23-06-2014, the State Government, hereby, makes the following amendment in the Notification No. 2286/F-10-09/Seed/2010/14-2, dated 17-06-2011, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification,–

In column (2) of serial number 2 of the Schedule, for the words "Additional Director Horticulture", the words "Deputy Director Horticulture" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास मिश्रा, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बस्तर, दिनांक 21 जनवरी 2026

क्रमांक/LAND/153/2025/भू-अर्जन 202512152700001/अ-82/2025-26.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	लोहण्डीगुड़ा	धर्माबेड़ा प.ह.नं. 02	0.234	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर	चंदेला - धर्माबेड़ा से अमलीधार मार्ग के कि.मी. 1/3 भंवरडीह नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी लोहण्डीगुड़ा/कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर, जिला बस्तर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिस. एस, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 19 फरवरी 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2506/202301050400015/अ-82/2022-23/2026.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पोंड़ी उपरोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-पुटुवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.604 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
35	0.306
72/2	0.185
164	0.177
184, 185	0.101

	(1)	(2)
	186	0.020
	238	0.413
	71/1	0.020
	72/1	0.141
	235/4	0.028
	235/5	0.036
	235/6	0.032
	183/1	0.024
	183/2	0.024
	183/3	0.024
	183/4	0.036
	183/5	0.036
योग	16	1.604

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुटुवा व्यपवर्तन योजना अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पोंड़ी उपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 19 फरवरी 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2509/202310052900001/अ-82/2023-24/2026.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पसान
- (ग) नगर/ग्राम-कटोरी नगोई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.219 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	6/2, 282/2, 282/3	0.140
	94/1	0.274
	93/6	0.043
	250/2	0.008
	252/7	0.022
	256/1	0.200
	93/2	0.084
	256/2	0.134
	255	0.004
	174/2/क	0.104
	194	0.004
	93/4	0.046
	92	0.018
	115	0.138
योग	16	1.219

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटोरी नगोई व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पोड़ी उपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुणाल दुदावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 23 जनवरी 2026

प्र. क्रमांक 162/202507042100005/अ-82/2024-25/.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कुसमूरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.280 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	572/4	0.049
	825/2ग	0.231
योग	02	0.280

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक चतुर्वेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी

मोहला-मानपुर-अं.चौकी, दिनांक 8 जनवरी 2026

क्रमांक/116/बंधक श्रम/2026.—बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 की धारा 13 की उपधारा 2 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्व जिला-मोहला-मानपुर-अं.चौकी के लिए निम्नानुसार "जिला स्तरीय सतर्कता समिति" एवं "अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति" का गठन किया जाता है :—

जिला स्तरीय सतर्कता समिति

क्र.	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	समिति में पद
01	जिला दण्डाधिकारी, जिला– मोहला–मानपुर–अं.चौकी	अध्यक्ष
02	जिले मे निवासरत अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित – 1. श्री रमेश हिड़ामे, मोहला, मो. नं. – 9424138175, 8305738109 2. श्री प्रवीण मंडावी, भावसा मानपुर, मो. नं. – 7587222201 3. श्रीमती सुशीला गावरे, अं.चौकी, मो. नं. – 8815421248	 सदस्य सदस्य सदस्य
03	जिले में निवासरत सामाजिक कार्यकर्ता – 1. श्री भुनेश्वर वैष्णव, मोहला, मो. नं. – 7697123599 2. श्रीमती चंदा साहू, अं.चौकी, मो. नं. – 9425525540	 सदस्य सदस्य
04	जिले में ग्रामीण विकास से जुड़े शासकीय या अशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधि – 1. पुलिस अधीक्षक, जिला– मोहला–मानपुर–अं.चौकी 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मोहला 3. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मोहला 4. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, मोहला 5. श्रम पदाधिकारी, जिला– मोहला–मानपुर–अं.चौकी	 सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य/सचिव
05	जिले में स्थित वित्तीय और ऋण संस्थाओं का प्रतिनिधि – 1. लीड बैंक प्रबंधक, जिला– मोहला–मानपुर–अं.चौकी	 सदस्य

अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति

1. राजस्व अनुविभाग – मोहला/अं.चौकी

क्र.	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	समिति में पद
01	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मोहला	अध्यक्ष
02	अनुविभाग में निवासरत अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित – 1. श्री दरबार सिंह गंगासागर, मो. नं. – 7970004179 2. श्री नरेन्द्र रामटेके, मो. नं. – 8120626241 3. श्री प्रभुराम नायक, मो. नं. – 9406096514 4. श्री भारतलाल कोवाची, मो. नं. – 9407734190 5. श्री राजकुमार रंगारे, मो. नं. – 8462047309	 सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
03	अनुविभाग में निवासरत सामाजिक कार्यकर्ता – 1. श्री भूपेन्द्र सोरी, मो. नं. – 6263233025 2. श्री गुलशन साहू, मो. नं. – 7828735841	 सदस्य सदस्य
04	अनुविभाग में ग्रामीण विकास से जुडे शासकीय या अशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधि – 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मोहला/अं.चौकी 2. अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, मोहला/अं.चौकी 3. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, मोहला/अं.चौकी	 सदस्य सदस्य सदस्य
05	अनुविभाग में स्थित वित्तीय और ऋण संस्थाओं का प्रतिनिधि – 1. शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, मोहला 2. शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, अं.चौकी	 सदस्य
06	अधिनियम की धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट एवं अनुविभाग में कार्यरत अधिकारी – 1. तहसीलदार, मोहला 2. तहसीलदार, अं.चौकी	सदस्य/सचिव

2. राजस्व अनुविभाग – मानपुर

क्र.	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	समिति में पद
01	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मानपुर	अध्यक्ष
02	अनुविभाग मे निवासरत अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित – 1. श्री टी.आर. कारटे, मो. नं. – 7828286232 2. श्री अशोक माहेश्वरी, मो. नं. – 9407735436 3. श्री तुलसीराम ठाकुर, मो. नं. – 947922086	 सदस्य सदस्य सदस्य

क्र.	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	समिति में पद
03	अनुविभाग में निवासरत सामाजिक कार्यकर्ता – 1. श्री सुजान सिंह नेताम, मो. नं. – 9406371011 2. श्री रामनारायण साहू, मो. नं. – 7587306909	 सदस्य सदस्य
04	अनुविभाग में ग्रामीण विकास से जुड़े शासकीय या अशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधि – 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मानपुर 2. उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मानपुर 3. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, मानपुर	 सदस्य सदस्य सदस्य
05	अनुविभाग में स्थित वित्तीय और ऋण संस्थाओं का प्रतिनिधि – 1. शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, मानपुर	सदस्य
06	अधिनियम की धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट एवं अनुविभाग में कार्यरत अधिकारी – 1. तहसीलदार, मानपुर	सदस्य/सचिव

2/ उक्त समिति अधिनियम की धारा 14 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक (सिविल) 3922/1985, पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीस विरुद्ध तमिलनाडू राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.10.2012 के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार कार्य करेगी :–

I. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंधक श्रमिकों के सर्वेक्षण का कार्य प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार कराया जाकर सर्वेक्षण के परिणाम का डाटाबेस एवं पुनरीक्षित प्रतिवेदन वेबसाईट में उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को प्रेषित किया जावेगा,

II. ईट भट्टों, पत्थर खदान, पत्थर तोड़ने की खान, बीड़ी निर्माण, कारपेट बनाना, निर्माण उद्योग, कृषि, ग्रामीण एवं शहरी असंगठित एवं अनौपचारिक सेक्टर, पावरलूम, कॉटन हैण्डलूम आदि क्षेत्रों में बंधक श्रमिकों की व्याप्तता के दृष्टिगत समिति सर्वेक्षण के दौरान इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देगी और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में त्वरित कार्यवाही करेगी,

III. यह सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबंधों का समुचित रूप से क्रियान्वयन, किये गये प्रयत्न और की गई कार्रवाही के बारे में जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सलाह देगी,

IV. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए व्यवस्था करेगी,

V. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के लिये पर्याप्त प्रत्यय की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ग्रामीण बैंकों और सहकारी सोसायटी के कृत्यों का समन्वय करेगी,

VI. उन अपराधों की संख्या पर नजर रखेगी जिनका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया गया है,

VII. यह सर्वेक्षण करेगी कि क्या कोई ऐसा अपराध किया गया है जिसका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया जाना चाहिए था,

VIII. मुक्त किये गये बंधक श्रमिक के या उसके कुटुम्ब के सदस्य के या उस पर आश्रित व्यक्ति के विरूद्ध संस्थित किसी ऐसे वाद की प्रतिरक्षा करना, जो किसी बंधित ऋण या किसी ऐसे अन्य ऋण के संपूर्ण या उसके किसी भाग की वसूली के लिए हो, जिसका दावा बंधित ऋण के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है।

IX. सतर्कता समिति अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह मुक्त किए गए बंधित श्रमिक के विरुद्ध वाद की प्रतिरक्षा करे और इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य मुक्त किये गये बंधित श्रमिक का, ऐसे वाद के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता समझा जाएगा।

3/ बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम, 1976 के नियम 3 (1) के अंनुसार अधिनियम के धारा 13 की उपधारा 3 के खण्ड, ख, ग, घ एवं ङ अंतर्गत नामांकित प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 2 वर्ष का रहेगा और उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात उत्तराधिकारी के नामित होने तक पद पर बने रहेंगे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.10.2012 के अनुसार समिति का पुनर्गठन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जावेगा।

4/ बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम, 1976 के नियम 7 के अनुसार अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार अभिलेख संधारित किया जायेगा :—

I. विमुक्त बंधक श्रमिकों के नाम एवं पता संबंधित पंजी,

II. विमुक्त बंधक श्रमिकों के पेशा, व्यवसाय एवं आय से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े से संबंधित पंजी,

III. विमुक्त बंधक श्रमिकों को प्रदाय की जाने वाली सुविधाओं से संबंधित पंजी, जिसमें आर्थिक सहायता, कृषि के लिए उपकरण प्रदाय, हस्तशिल्प या सहायक व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण, ऋण प्रदाय की जानकारी तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार प्रदाय संबंधी जानकारी सम्मिलित है,

IV. अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (6), धारा 8 की उपधारा (2), धारा 9 की उपधारा (2), धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 19, धारा 20 के अंतर्गत प्रकरणों का विस्तृत विवरण दर्शाने वाली पंजी,

5/ प्रत्येक सतर्कता समिति अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगी।

तुलिका प्रजापति
कलेक्टर एवं
जिला दण्डाधिकारी

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
"सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन" सेक्टर 24, कयाबांधा, अटल नगर, नवा रायपुर

नवा रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2026

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2025-26/8462.—कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2023-24/6096-6097 रायपुर दिनांक 15-12-2023 द्वारा श्री ए. के. सत्यपाल, वरि. कृषि विकास अधिकारी, संभागीय कार्यालय बिलासपुर को कृषि उपज मंडी समिति तखतपुर, जिला-बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री ए. के. सत्यपाल वरि. कृषि विकास अधिकारी संभागीय कार्यालय बिलासपुर के स्थान पर श्री शशांक शेखर शुक्ला, तहसीलदार तखतपुर जिला-बिलासपुर को कृषि उपज मंडी समिति तखतपुर, जिला बिलासपुर का आगामी आदेश तक भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

नवा रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2026

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2025-26/8464.—कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2023-24/6048-6049 रायपुर दिनांक 15-12-2023 द्वारा श्री दीपक कुमार नायक, उप संचालक, कृषि जिला बलौदाबाजार-भाटापारा को कृषि उपज मंडी समिति बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार भाटापारा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री दीपक कुमार नायक, उप संचालक, कृषि जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के स्थान पर श्री जयइन्द्र कंवर, अनुविभागीय अधिकारी, कृषि बलौदाबाजार को कृषि उपज मंडी समिति बलौदाबाजार का आगामी आदेश तक भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

महेन्द्र सिंह सवन्नी,
संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 15th October 2025

No. 1156/Confdl./2025/II-2-1/2025.—The following Members of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in column No. (3) to the place shown in column No. (4) and are posted as Principal District Judge from the date they assume charge of their office(s) and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office(s) —

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Vijay Kumar Hota, Principal District and Sessions Judge	Dakshin Bastar (Dantewada)	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Principal District and Sessions Judge
2.	Ku. Saroj Nand Das, Judge, Family Court	Baloda-Bazar	Bemetara	Bemetara	Principal District and Sessions Judge
3.	Shri Santosh Kumar Aditya, I District and Additional Sessions Judge	Korba	Dantewada	Dakshin Bastar (Dantewada)	Principal District and Sessions Judge

Bilaspur, the 15th October 2025

No. 1158/Confdl./2025/II-2-1/2025.—The following Member of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) of the table below, who is posted in the capacity as mentioned in Column No. (3) is, henceforth, posted in the capacity as mentioned in Column No. (4) from the date she assumes charge of her office :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Presently Posted in the capacity (3)	Henceforth posted in the capacity (4)
1.	Smt. Garima Sharma	II District and Additional Sessions Judge, Korba	I District and Additional Sessions Judge, Korba

By Order of Hon'ble the High Court,
RAJNISH SHRIVASTAVA, Registrar General.